कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail - eicpwduk@nic.in

पत्रांक 44 /04(01)कैम्प–प्र0अ0–ए0सी0आर0/2017 देहरादून, दिनांक 10 फरवरी, 2017 मार्च

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–।/।।,
(सिविल/रा0मा0/UEAP/USRIP/UDRP/PMGSY),
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड।

विषय :– वार्षिक गोपनीय प्रपत्रों में Appraisee/रिपोर्टिंग/समीक्षक/स्वीकृताधिकारियों द्वारा अंकन/प्रविष्टि किये जाने के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा विगत वर्षों एवं आलोच्य वर्ष में तकनीकी श्रेणी के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रपत्रों में रिपोर्टिंग/समीक्षक/स्वीकृताधिकारी के रूप में प्रविष्टियां/मन्तव्य अंकित किये जाते समय प्राप्त प्रपत्रों में मुख्यतः निम्नलिखित कमियां/त्रुटियां दृष्टिगोचर हुई हैं :–

1. Self Appraisee द्वारा प्रपत्र के भाग–1 एवं भाग–2 में सुस्पष्ट एवं पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया जा रहा हैं। यदि अंग्रेजी में विवरण अंकित किये जाने में कठिनाई हो तो हिन्दी में विवरण/विश्लेषण अंकित किया जाय ताकि भाग–1 एवं भाग–2 में अंकित विवरण का तात्पर्य स्पष्ट हो सके।
2. रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा पार्ट–।।। में प्रविष्टियां की जाती है। बिन्दु संख्या–13 में स्पष्ट है कि "It is mandatory to mention detailed remarks when the assessment is outstanding or unsatisfactory" तथा कॉलम–1 में Assessment तथा कॉलम–2 में ग्रेड़िग Point अंको में दिया जाना है तथा कॉलम–3 में Outstanding व Unsatisfacroty Category हेतु रिमार्क लिखा जाना है। परन्तु मुख्य अभियन्ताओं के स्तर से भी सुस्पष्ट प्रविष्टि व अनुपालन नहीं हो रहा हैं।
3. पार्ट–IV में उक्त बिन्दु संख्या–02 के अनुसार ही समीक्षक अधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित किया जाना है।
4. स्वीकृता अधिकारी द्वारा पार्ट–V में अपने स्वविवेक के अनुरूप कारणों का उल्लेख सहित Over all ग्रेडिंग अंकित किया जाना है। परन्तु इस बिन्दु पर भी भ्रम की स्थिति दृष्टिगोचर हुई है।
5. वार्षिक गोपनीय प्रपत्रानुसार ग्रेडिंग डेसिमल में न दिया जाय। अपितु पूर्ण संख्या में दिया जाय। जैसा कि प्रपत्र के बिन्दु संख्या–13 में उल्लिखित है।

यह भी उल्लेख करना है कि शासन के पत्र संख्या 1450/XXX(2)/2010 दिनांक 30.09.2010 (प्रति संलग्न) के अनुसार निम्नलिखित चार श्रेणियां (कैटेगिरी) रखी गयी है :–

1. उत्कृष्ट (Outstanding)
2. अतिउत्तम (Very Good)
3. उत्तम (Good)
4. खराब/असंतोषजनक (Bad/Unsatisfactory)

अतः गोपनीय प्रपत्र में उल्लिखित संतोषजनक (Satisfactory) श्रेणी का संज्ञान नहीं लिया जाना है।

अतः आपसे व अधीनस्थों से अपेक्षा की जाती है कि उक्तानुसार वार्षिक गोपनीय प्रपत्र में प्रविष्टि सुस्पष्ट अंकित की जाय ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न हो एवं कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण में कोई कठिनाई न हो।

संलग्न–यथोपरि।

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता स्तर–।(मुख्यालय)/वरिष्ठ स्टाफ आफिसर–।/।।, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, (सिविल/रा0मा0/UEAP/UDRP/PMGSY), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, (सिविल/रा0मा0/UEAP/UDRP/PMGSY), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. वैयक्तिक सहायक, विभागाध्यक्ष कार्यालय।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

संख्या–1450 /XXX(2)/2010

प्रेषक,

दिलीप कुमार कोटिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

3– मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊँ।

4– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 30 सितम्बर, 2010

विषयः– चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक प्रविष्टियां, सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र, प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करना, उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन और प्रत्यावेदन निस्तारण की प्रकिया।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1712/कार्मिक–2/2003, दिनांक 18 दिसम्बर,2003 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवकों की वार्षिक प्रविष्टियां अंकित किये जाने एवं सत्यनिष्ठा प्रमाणित किये जाने, प्रतिकूल प्रविष्टियों को संसूचित करने और उनके विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण करने के सम्बंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

2– उक्त शासनादेश के प्रस्तर–9 में वार्षिक प्रविष्टियों में ग्रेडिंग के सम्बंध में यह व्यवस्था की गयी है कि वार्षिक प्रविष्टि के अन्त में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा सम्बंधित कार्मिक के सम्पूर्ण कार्य एवं आचरण के परिप्रेक्ष्य में उसकी ग्रेडिंग की जायेगी यह ग्रेडिंग निम्नवर्गीकरण के अन्तर्गत होगीः–

1–	उत्कृष्ट	(Outstanding)
2–	अति उत्तम	(Very Good)
3–	उत्तम	(Good)
4–	अच्छा/संतोषजनक	(Satisfactory)
5–	खराब/असंतोषजनक	(Bad/Unsatisfactory)

3– शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये है कि वार्षिक प्रविष्टियां अंकित करने वाले अधिकारियों द्वारा उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन भली–भॉति नही किया जा रहा है तथा सरसरी तौर पर सम्बंधित कार्मिकों के कार्य एवं आचरण का मूल्यांकन करते हुये श्रेणी अंकित की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप जिन कार्मिकों को अच्छा/संतोषजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है,

उनके सम्बंध में सम्पूर्ण तथ्यों का संज्ञान नही लिया जाता है। ऐसी दशा में उच्चत्तर पदों पर पदोन्नति के समय अच्छा/संतोषजनक श्रेणी में वर्गीकृत अधिकारियों को श्रेष्ठता के चयन में कोई भी अंक प्राप्त नही होते है तथा वे पदोन्नति से वंचित हो जाते है।

4— इस सम्बंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 में वर्गीकृत श्रेणियों को संशोधित करते हुए अब वार्षिक गोपनीय प्रविष्ट अंकित हेतु निम्न श्रेणियों को रखा जायेगा:—

1— उत्कृष्ट (Outstanding)
2— अति उत्तम (Very Good)
3— उत्तम (Good)
4— खराब/असंतोषजनक (Bad/ Unsatisfactory)

5— भविष्य में कार्मिकों की श्रेणी का वर्गीकरण करते समय अच्छा/संतोषजनक श्रेणी अंकित नही की जायेगी। बल्कि जिन कार्मिकों का सम्बंधित वर्ष में कार्य एवं आचरण असंतोषजनक है तथा सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, उनका मूल्यांकन निष्पक्षता के आधार पर करते हुये उन्हें खराब/असंतोषजनक श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा तथा जिन कार्मिकों के कार्य एवं आचरण के सम्बंध में कोई प्रतिकूल तथ्य न हो, तो कार्य एवं आचरण के मूल्यांकन के आधार पर उन्हें उत्तम श्रेणी अथवा उससे उच्चतर यथा अति उत्तम/उत्कृष्ठ श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा।

6— उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में प्रदत्त 'अच्छा/संतोषजनक' श्रेणी को श्रेष्ठता के आधार पर चयन के मामले में मूल्यांकन हेतु 'उत्तम' के समतुल्य माना जायेगा ताकि ऐसे कार्मिक को मूल्यांकन/Marking को लेकर क्षति न हो।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिलीप कुमार कोटिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या— (1)/xxx(2)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2—सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3—निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
4—सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,हरिद्वार।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।